मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 3 मई, 2017 (वैशाख 13, शक सम्वत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. शपथ/प्रतिज्ञान

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9-अटेर से उप चुनाव में निर्वाचित श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रतिज्ञान तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) से उप चुनाव में निर्वाचित श्री शिवनारायण सिंह 'लल्लू भैया', सदस्य ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा भवन में अपने स्थान ग्रहण किए.

3. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

(1) श्री प्रताप सिंह बघेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्री विनोद खन्ना, संसद सदस्य,
(3) डॉ. अखिलेश दास गुप्ता, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(4) श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, दैनिक भास्कर पत्र समूह के चेयरमेन, तथा
(5) छत्तीसगढ़ के सुकमा तथा जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले की कृष्णा घाटी में शहीद जवान.

सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य ने भी शोकोदगार व्यक्त किये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में कार्यवाही 11.37 बजे स्थगित की जाकर 11.46 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 3 मई, 2017 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयक एवं शासकीय संकल्प पर चर्चा हेतु समय आवंटित किए जाने की सिफारिश की गई :-

क्र.	विषय	आवंटित समय
(1)	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (क्रमांक 11 सन् 2017)	1 घण्टा
(2)	माँ नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किए जाने संबंधी संकल्प	1घण्टा

सभा द्वारा यह सिफारिश भी की गई कि - ' मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 ' तथा ' माँ नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किए जाने संबंधी शासकीय संकल्प ' के अलावा कोई भी अन्य शासकीय तथा अशासकीय कार्य इस बैठक में नहीं लिए जाएं.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयक एवं शासकीय संकल्प पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि – आज की कार्यसूची के पद 3 के अंतर्गत शासकीय विधि विषयक कार्य में उल्लेखित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने इसे आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा विचार में लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है.

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (क्रमांक 11 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय
(3) श्री मुकेश नायक
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(5) श्री जयवर्द्धन सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(7) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (क्रमांक 11 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

6. संकल्प

माँ नर्मदा नदी को जीवित इकाई के रूप में वैधानिक अधिकारों के संरक्षण विषयक

श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

''सदन का मत है कि माँ नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन-रेखा है और एक जीवित इकाई के रूप में माँ नर्मदा के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य शासन कृत संकल्पित है.''.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

7. औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि उन्होंने इस संकल्प पर संशोधन दिया है क्योंकि इसमें वैधानिक अधिकारों के संबंध में उल्लेख किया गया है, तो ये शासकीय संकल्प है या संवैधानिक संकल्प है ? सरकार यह स्पष्ट करे.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि यह शासकीय संकल्प है. यदि आवश्यक हुआ तो इसकी वैधानिकता के लिए विधेयक लायेंगे.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि – श्री रामनिवास रावत, सदस्य का संशोधन अस्वीकार कर दिया है क्योंकि वैधानिक संकल्प संविधान अथवा अधिनियमों के अंतर्गत आता है. इसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है. केवल वैधानिक शब्द का उपयोग किया गया है. इसमें किसी उपबंध का, किसी अधिनियम का हवाला नहीं दिया गया है. यह सीधा शासन के मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह शासकीय संकल्प हैं.

8. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि संकल्प पर चर्चा पूर्ण होने तक भोजनावकाश स्थगित कर सदन की कार्यवाही के समय में वृद्धि की जाए.

9. संकल्प (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार
(2) श्री मुकेश नायक
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री रामनिवास रावत
(5) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(6) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प स्वीकृत हुआ.

10. राष्ट्रगान “जन गण मन” का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया.

11. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 3.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 3 मई, 2017